तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/5/19	प्रतिवादी अधिवक्ता उप.। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र U/S $O_6 R_{17}$ CPC का जवाब न देकर सिर्फ मौखिक बहस का निवेदन किया। प्रतिवादी प्रति सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वादी ने नए पक्षकार बनाने के साथ-साथ नए खसरे को भी ~~वादी~~ वाद में शामिल करने का निवेदन किया जिससे वाद की मूल प्रवृति ही बदल जाएगी। यदि वादी को नए पक्षकार व नए खसरों को शामिल करना है तो वह इसके लिए अलग दावा पेश करें। इस बाबत में ~~........~~ वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में पेश नए पक्षकार व नए खसरों को शामिल नहीं किया जावे व इस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जावे। वास्ते बहस वादी अधिवक्ता पत्रावली दिनांक 27/5/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी	
27/5/19	प्रतिवादी अधिवक्ता उप.। वास्ते बहस वादी अधिवक्ता पत्रावली दिनांक 30/5/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी	
30/5/19	पत्रावली पेश हुई ~~.......~~ उभयपक्ष पक्षकारान उप.। वकील वादी ने पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र U/S $O_6 R_{17}$ CPC प्रार्थना पत्र Not Press किया। वकील वादी के Not Press पर प्रार्थना पत्र U/S $O_6 R_{17}$ CPC खारिज किया जाता है। वादीनी कि ओर से ख. न. 1264/4 रकबा 11.06 बीघा की वर्तमान राजस्व नक्शा में की हुई तरमीम निरस्त करने और प्रतिवादी सं. 01 विरुद्ध ही दावा चलाये जाने दावा कि शेष रिलीफ व शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध	[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	दावा निर्णीत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ख.न. 1262/4 रकबा 11.06 बीघा मौजा जन्मासागर की वर्तमान राजस्व नक्शा में कि हुई तरमीम निरस्त किए जाने तक प्रतिवादी सं. 01 के विरुद्ध यह दावा रखा जाकर शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध व शेष रिलीफ बाबत दावा जरिए निर्णय खारिज किया जाता है। वकील वादी ने संशोधित वाद शीर्षक पेश किया जो रेकर्ड पर लिया जाता है।	
	वादीनी व प्रतिवादीनी दोनो उपस्थित जिन्होने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि जन्मासागर के ख.न. 1264/4 रकबा 11.06 बीघा की वर्तमान राजस्व नक्शा में की हुई तरमिम मौके की स्थिति से भिन्न होने से गलत है जो निरस्त की जावे। वादीनी व प्रतिवादीनी की पहचान वकुलाय करते है इसलिए राजीनामा तस्दिक कर शामिल पत्रावली किया जाता है।	
	वकिल वादीनी ने निवेदन किया कि पत्रावली के दोनो पक्षो के मध्य राजीनामा हो चुका है और विवाद मात्र ख.न. 1262/4 की तरमिम का हो है। राजीनामा में दोनों पक्ष तरमिम निरस्त किए जाने हेतु सहमत है।	
	अत: यह दावा जरिए राजीनामा निर्णय कर ख. नं. 1262/4 रकबा 11.06 बीघा मौजा जन्मासागर पटवार हल्का की तरमिम निरस्त कर मौके कि स्थिति अनुसार तरमिम के आदेश दिए जावे है।	
	न्यायालय द्वारा पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया दोनो पक्षो के मध्य ख.न. 1262/4 रकबा 11.06 बीघा की तरमिम निरस्त किये जाने हेतु राजीनामा पेश किया है। अत: माफीक राजीनामा दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर ग्राम जन्मसागर के ख.न. 1262/4 रकबा 11.06 की वर्तमान राजस्व नक्शा में की हुई तरमीम निरस्त की जाती है।	
	तहसीलदार फलोदी उक्त खसरान की मौका अनुसार पुन: नवीन तरमिम करे, इसी अनुसार ही डिक्री पर्चा जारी हो।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।	

हस्ताक्षर (वादीनी / प्रतिवादीनी)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner